शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

# शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 49 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 49 अंक – 10 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 26 – 4 मार्च 2024 मूल्य पांच रूपये

# क्या सुक्खू सरकार बनी रहेगी या राष्ट्रपति शासन लगेगा?

- जब विधायकों का निष्कासन का आधार व्हिप का उल्लंघन कहा गया है तो व्हिप की नियुक्ति की अधिसूचना कहां है?
- निष्कासन के फैसले की प्रति मीडिया को जारी क्यों नहीं की जा रही?
- यदि यह निष्कासन कानूनी समीक्षा में असफल रहा तो स्थिति और भी जटिल हो जायेगी।

**शिमला/शैल।** क्या सुक्खू सरकार बच पायेगी या प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगेगा? राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद प्रदेश की राजनीतिक स्थिति इस मुकाम पर पहुंच गयी है। क्योंकि यह हार कांग्रेस के छः विधायकों द्वारा भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के कारण हुयी है। छः विधायकों के इस पाला बदलने के कारण कांग्रेस के विधायकों की संख्या 34 रह गयी है। राज्यसभा का यह मतदान बजट सत्र के दौरान हुआ। ऐसे में यदि बजट सत्र के कटौती प्रस्तावों या वित्त विधेयक के मतदान में सदन के पटल पर सरकार गिरती तो प्रदेश में तुरन्त प्रभाव से विधानसभा चुनाव करवाने की बाध्यता आ जाती। शायद विधानसभा चुनावों के लिये सत्ता पक्ष, विपक्ष और नाराज विधायक कोई भी तैयार नहीं था। इन चुनावों को टालने के लिए सदन में जो कुछ हुआ उसके बाद प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की बाध्यता खड़ी हो गयी है।

जब राज्यसभा चुनाव में सत्ता पक्ष को क्रॉस वोटिंग होने का अहसास हुआ तो इसके लिये व्हिप जारी करने पर विचार किया गया और रोहित ठाकुर, जगत सिंह नेगी, हर्षवर्धन चौहान और संजय अवस्थी को सचेतक नियुक्त करने का समाचार अखबारों में छप गया। लेकिन जैसे ही यह छपा कि जब प्रदेश में सचेतक नियुक्त ही नहीं है तो सचेतक परिपत्र कैसे जारी होगा? समरणीय है कि हिमाचल में 2018 में सचेतक अधिनियम के तहत सचेतकों के वेतन भत्ते आदि पारित हैं। इसकी धारा सात में स्पष्ट कहा गया है कि जब भी कोई सचेतक नियुक्त होगा या अपना पद छोड़ेगा तो इस आश्य की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होगी। लेकिन अभी तक सचेतक नियुक्त किये जीने की कोई भी अधिसूचना सामने नहीं आयी है। इस आश्य का अधिनियम का जो फैसला आया है उसका आधार वित्त विधेयक के लिये जारी व्हिप की उल्लंघना कहा गया है। अध्यक्ष के इस फैसले सचेतक नियुक्त कब हुआ था? उसकी नियुक्ति की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कब हुयी थी? विधानसभा सचिवालय इन प्रश्नों पर भी संतोषजनक परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह को लेकर किये जा रहे दावों कि सच्चाई भी सामने आ चुकी है। बल्कि नाराज विधायकों की संख्या बढ़ने के संकेत सामने आ रहे हैं। जनता में एक अलग तरह की प्रतिक्रिया उभर रही है और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनती जा रही है। इस वस्तुस्थिति पर राजभवन कितनी देर तक मूक दर्शक की भूमिका में रह सकता है? राज्यपाल को प्रदेश की राजनीतिक वस्तुस्थिति पर अन्ततः केन्द्र को रिपोर्ट भेजनी ही होगी। इस अनिश्चितता की स्थिति में केन्द्र को प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के अतिरिक्त और कोई विकल्प शेष नहीं रह जायेगा विश्लेष्कों की नजर में अध्यक्ष द्वारा निष्कासन का फैसला

**हिमाचल प्रदेश विधान सभा मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक का वेतन, भत्ते और अन्य प्रसुविधाएं विधेयक, 2018**

**मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक की नियुक्ति आदि की बाबत अधिसूचना का उसका निश्चायक साक्ष्य होना ।**

**7.** उस तारीख को, जिसको कि कोई व्यक्ति मुख्य सचेतक या उप मुख्य सचेतक बना है या नहीं रहता है, राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाएगा और ऐसी कोई अधिसूचना इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों के लिए इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगी कि वह उस तारीख को मुख्य सचेतक या उप मुख्य सचेतक बना है या नहीं रहता है।

होने के बाद कोई भी दूसरा व्यक्ति सचेतकीय जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर सकता और न ही ऐसा करने के लिये अधिकृत किया जा सकता है।

ऐसे में कांग्रेस के छः विधायकों की दल बदल कानून के तहत विधानसभा सदस्यता भंग करने की प्रति मीडिया को विधानसभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गयी है। अध्यक्ष के इस फैसले पर अदालत में जब चर्चा आयेगी तो पहला प्रश्न यही आयेगा कि जिस व्हिप की उल्लंघना का आरोप लगा है वह जारी कब हुआ? उसे जारी करने वाला मौन चल रहा है। इसमें इन विधायकों का निष्कासन कानून की नजर में वैध ठहर पायेगा इसको लेकर गंभीर शंकाएं उभर रही है।

माना जा रहा है कि यह निष्कासन स्टे हो जायेगा। दूसरी ओर कांग्रेस के नाराज विधायकों को मनाने के लिये किये जा रहे प्रयासों के कोई जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। इससे संकट और गहरा गया है। यदि सचेतक की नियुक्ति अधिसूचित नहीं होगी दो स्थिति और भी हास्यस्पद हो जायेगी। क्योंकि निष्कासित विधायक रजिस्टर पर हाजिरी लगाने का दावा कर रहे हैं।

# भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय होंगे 143.16 करोड़ रुपये: मुख्यमंत्री

**शिमला/शैल।** हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की 44वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुये मुख्यमंत्री ठाकुर

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिये बोर्ड को 191 करोड़ रुपये की आय का अनुमान है। इसमें से 143.16 करोड़ रुपये बोर्ड द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से खर्च किये जायेगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विधवा/एकल /निराश्रित/दिव्यांग आवास योजना पर 30 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। योजना के अन्तर्गत 2.50 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वालों को राज्य सरकार द्वारा मकान निर्माण के लिए 3 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है ताकि वे भी सम्मानजनक जीवन-यापन कर सकें। उन्होंने कहा कि इसके अलावा एक लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता शौचालय एवं रसोई घर निर्माण पर भी दी जायेगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार जरूरतमंदों, गरीबों एवं वंचित वर्गों को उनके अधिकार प्रदान कर रही है। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत डेढ़ लाख श्रमिकों, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर एवं हेल्पर को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने बोर्ड के समस्त डाटा का डिजिटाईजेशन करने के निर्देश दिये ताकि लोग प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें तथा बोर्ड की कार्यप्रणाली में और सुधार लाया जा सके। उन्होंने कहा कि कामगार लोकमित्र केन्द्रों के माध्यम से भी अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।

बैठक में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के गैर सरकारी एवं सरकारी सदस्य, सचिव अभिषेक जैन व एम. सुधा देवी, सचिव विधि शरद कुमार लगवाल तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड राजीव कुमार भी उपस्थित थे।

# पशुपालन विभाग में 1000 मल्टी टास्क वर्कर्स रखने की मंजूरी

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में वित्त वर्ष 2024-25 के लिये नीलामी एवं निविदा के माध्यम से आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गयी।

मंत्रिमंडल ने पशुपालन विभाग में सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के दृष्टिगत पशु चिकित्सा अधिकारियों

के सहयोग के लिए विभाग में 1000 मल्टी टास्क वर्कर्स रखने को मंजूरी प्रदान की।

बैठक में लोक निर्माण विभाग में जेओए आईटी के 30 पद भरने को भी मंजूरी दी गयी। बैठक में लोक निर्माण विभाग के आकिटेक्ट विग में वरिष्ठ ड्राफ्ट्समैन के 4 रिक्त पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गयी। बैठक में पीटीए नीति के तहत रखे गये 46 पात्र शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने का भी निर्णय लिया गया, जो राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार अपेक्षित योग्यताएं पूरी करते हैं।

बैठक में 10 फूड सेफ्टी वाहन खरीदने और स्वास्थ्य विभाग में 10 खाद्य विश्लेषकों, 10 परिचारकों और 10 ड्राइवरों की सेवाएं लेने का भी निर्णय लिया गया।

बैठक में ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालय बंगाल चौकी, थरांगन, सलिहार, बोहन भट्टी, देहरियां को राजकीय उच्च विद्यालय, राजकीय उच्च विद्यालय चौकाथ को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जिला कांगड़ा के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालय चन्द्रौण को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त जिला चंबा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय फगोट को राजकीय उच्च विद्यालय, राजकीय उच्च विद्यालय जोलना, रंग, भराड़ी और मथोलु को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जिला शिमला के विकास खंड ठियोग के राजकीय माध्यमिक विद्यालय कराणा को राजकीय उच्च विद्यालय में आवश्यक पदों के साथ स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने क्षेत्र के निवासियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिये ग्राम पंचायत मशोबरा और ब्यूलिया के और क्षेत्रों को नगर निगम शिमला के दायरे में शामिल करने को मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी, जयसिंहपुर और पालमपुर में जल शक्ति विभाग के मंडल खोलने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग की कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करने और लोगों की सुविधा के दृष्टिगत चंबा जिला में जल शक्ति मण्डल को डलहौजी से चुवाड़ी स्थानान्तरित करने और शिमला जिला में जल शक्ति विभाग के कसुम्पटी, सुन्नी, नेरवा और मतियाणा मण्डलों के पुनर्गठन करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने ऊना जिले में 50 बिस्तर वाले नागरिक अस्पताल हरोली को 100 बिस्तरों वाले अस्पताल में स्तरोन्नत करने, शिमला जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुम्मा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने, सिरमौर जिले की ग्राम पंचायत कोटा पब के कंडी में स्वास्थ्य उप-केंद्र खोलने और ऊना जिले के बालीवाल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के साथ आवश्यक पद भरने को मंजूरी दी।

मंत्रिमण्डल ने लोगों की सुविधा के लिये लोक निर्माण विभाग के ममलीग अनुभाग को विभाग के अर्की मण्डल से सोलन मण्डल में स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने जिला हमीरपुर के नादौन में लोक निर्माण विभाग का मण्डल और बड़सर विधानसभा क्षेत्र के बिझड़ी में लोक निर्माण विभाग का उपमंडल खोलने तथा इनमें आवश्यक पदों को भरने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त हरोली में लोक निर्माण विभाग का एक नया मंडल खोलने और आवश्यक पदों को सृजित कर भरने तथा जिला कांगड़ा में उप-तहसील प्रागपुर को तहसील में स्तरोन्नत कर आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय भी लिया गया।

बैठक में मंडी जिले के धर्मपुर में उपमंडलीय पुलिस कार्यालय खोलने, हमीरपुर जिले के भोरंज पुलिस स्टेशन के तहत लदरौर में पुलिस चौकी खोलने और कुल्लू जिले में पुलिस चौकी मणिकर्ण को पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के पदों के सृजन और भरने को मंजूरी दी गई। बद्दी पुलिस जिले में सिटी पुलिस पोस्ट वर्धमान को क्रियाशील बनाने के लिए विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने जिला शिमला के ब्लॉक टिक्कर में स्वास्थ्य उप-केंद्र कोठारी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने कांगड़ा के जिला स्तरीय छिज सल्याणा, लिदबार मेले, ऊना जिला के हरोली उत्सव और बिलासपुर जिला के घुमारवी ग्रीष्मोत्सव को राज्य स्तरीय मेले में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी। इसके अलावा, जयसिंहपुर का होली मेला, जिला बिलासपुर का अजमेर भराड़ी ग्रीष्मोत्सव, सांगला होली उत्सव और गंगथ कारु महाराज मेला को जिला स्तरीय मेलों में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

# स्टेज कैरिज बस रूटों के लिए आवेदन आमंत्रित

**शिमला/शैल।** परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए चयनित मार्गों पर स्टेज कैरिज वाहनों के संचालन के लिए आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। इसके लिये इच्छुक हिमाचली बेरोजगार युवाओं से विभिन्न जिलों के 57 स्टेज कैरिज बस रूटों के लिए यह आवेदन मांगे गये हैं।

आवेदनकर्ता इन रूटों के लिए 21 मार्च, 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। चयनित मार्गों की सूची विभाग की वैबसाइट http://himachal.nic.in/transport पर उपलब्ध है। किसी भी रूट पर आवेदन से पहले आवेदनकर्ता संबंधित रूट का अच्छे से निरीक्षण कर लें। प्रकाशित रूटों की शर्तों व अन्य स्पष्टीकरण इत्यादि के लिए संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते हैं।

# मुख्यमंत्री ने डा.सीमा शर्मा को अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस पुरस्कार में चयन पर बधाई दी

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आईआईटी दिल्ली में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर डॉ. सीमा शर्मा को अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस पुरस्कार-2024 के लिए इण्डियन काउंसिल फॉर यूएन रिलेशनस, नई दिल्ली द्वारा चयनित किए जाने पर हार्दिक बधाई दी है।

मुख्यमंत्री ने जिला हमीरपुर की डॉ. सीमा शर्मा की उपलब्धियों पर गर्व जाहिर करते हुए अनुसंधान एवं विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रदेश में कन्याओं के लिये प्रेरणा स्त्रोत की भूमिका निभाने के लिये उनकी सराहना की।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आईआईटी दिल्ली में उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के बारे बताते हुये कहा कि आउटस्टैंडिग यंग फैकल्टी फैलोशिप तथा टिचिंग एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त करना शिक्षण तथा अनुसंधान में उनकी प्रतिबद्धता को साबित करता है।

# कांगड़ा में 98%बच्चों को पिलाई गयी पोलियो ड्रॉप्स

**शिमला/शैल।** पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के तहत जिला कांगड़ा में 0 से 5 साल तक के 107030 (98%) बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई गई। यह जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा डॉक्टर सुशील शर्मा ने बताया की विभाग द्वारा इस अभियान के अंतर्गत शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1070 पोलियो बूथ स्थापित किये गये थे जिन पर 4268 टीम मेंबर तैनात किए गए थे। इसके अतिरिक्त 21 ट्रांजिट प्वाइंट तथा 173 अति जोखिम वाले क्षेत्र जैसे झुग्गी झोपड़ी, ईट भट्टे, निर्माण कार्य वाली जगह, क्रशर पर कार्य करने वाले श्रमिक तथा प्रवासी परिवारों के बच्चों को दवाई पिलाई गई। उन्होंने बताया की हमारा यह प्रयास रहेगा कि कोई भी बच्चा छूटने ना पाये। पोलियो बूथ पर सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक बच्चों को दवाई पिलाई गई.तथा चार और पांच मार्च को स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर सर्वे करेंगे तथा अगर कोई बच्चा छूट गया होगा तो उसे दवाई पिलाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर किसी कारणवश कोई बच्चा छूट गया हो तो घर घर जब पोलियो सर्वे के लिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आएंगे तो बच्चे को ड्रॉप्स पिलाना सुनिश्चित करे।

# हिमाचल प्रदेश ने बेस्ट इमीजग माउंटेन डेस्टिनेशन श्रेणी में जीता पुरस्कार

**शिमला/शैल।** जिला कांगड़ा के धर्मशाला के निकट सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल मैक्लोड़गंज को नई दिल्ली में प्रतिष्ठित मीडिया हाउस इंडिया टूडे ग्रुप द्वारा टूरिज्म सर्वे एंड अवार्डस-2023 में 'बेस्ट इमीजग माउंटेन डेस्टिनेशन' श्रेणी में पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से निदेशक पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मानसी सहाय ठाकुर ने यह पुरस्कार प्राप्त किया।

इंडिया टूडे ग्रुप ने अपने पाठकों के माध्यम से ऑनलाइन वोटिंग से एक सर्वेक्षण करवाया था। यह सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह से डेढ़ माह पहले किया गया था और देशभर के विभिन्न राज्यों के गंतव्यों से संबंधित नामांकन किए गए थे। प्राप्त नामांकनों में से मैक्लोड़गंज को संबंधित श्रेणी में श्रेष्ठ गंतव्य आंका गया।

# मेधा प्रोत्साहन योजना के अभ्यर्थियों की अस्थाई सूची जारी

**शिमला/शैल।** निदेशक उच्चतर शिक्षा डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि उच्चत्तर शिक्षा विभाग द्वारा मेधा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सत्र 2023-24 के लिये मेधावी विद्यार्थियों से राज्य एवं राज्य से बाहर के संस्थानों से क्लैट, नीट, आईआईटी, जेईई, एम्स, एएफएमसी व एनडीए सहित संघ लोक सेवा आयोग, एसएससी, बैंकिग व बीमा तथा रेलवे और इनके समकक्ष प्रवेश परीक्षाओं के लिये ऑनलाईन या ऑफलाईन कोचिंग कक्षाओं में व्यक्तिगत रुप से भाग लेने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। उन्होंने बताया कि इच्छुक एवं पात्र विद्यार्थियों से प्राप्त आवेदनों की छंटनी के उपरान्त अभ्यर्थियों की अस्थाई सूची विभागीय वैबसाईट https://education.hp.gov.in पर अपलोड कर दी गई है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी यहां से आवेदन की जांच कर लें और यदि उनके आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों में कोई कमी दर्शाई गई है तो तुरन्त संबंधित दस्तावेज ईमेल-medha.protsahan@gov.in के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र में भरे गये संस्थान में बदलाव नही किया जायेगा। उन्होंने बताया कि आपत्तियों के निराकरण की अन्तिम तिथि 05 मार्च, 2024 सायं पांच बजे तक निर्धारित की गई है। इसके उपरान्त किसी भी प्रकार के निवेदन एवं अनुरोध स्वीकार नही किये जायेगे।

# मुख्यमंत्री ने एशियन रिवर राफ्टिंग चैम्पियनशिप का शुभारंभ किया

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से 4 से 9 मार्च, 2024 तक बसंतपुर के निकट सतलुज नदी में आयोजित की जा रही एशियन रिवर राफ्टिंग चैम्पियनशिप में भाग लेने वाली टीमों को हरी झंडी

दिखाकर चैम्पियनशिप शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ईरान, इराक, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान तथा इंडोनेशिया सहित 20 टीमें भाग ले रही है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में जिला हमीरपुर के नादौन में राफ्टिंग मैराथन और गत वर्ष जिला शिमला के जुन्गा में पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। राज्य में लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए साहसिक खेल गतिविधियों का आयोजन करवाया जा रहा है। इससे प्रदेश ने राजस्व बढ़ौतरी के साथ-साथ लोगों की आर्थिकी भी सुदृढ़ होती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार है इससे हजारों परिवार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यटन क्षेत्र की अधोसंरचना को मजबूत कर राज्य में पर्यटकों की आवाजाही को बढ़ाने के लिए दृढ़ प्रयास कर रही है ताकि एक वर्ष में पांच करोड़ पर्यटकों के आगमन का लक्ष्य हासिल किया जा सके।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, सातवें वित आयोग के अध्यक्ष नंदलाल, मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा, विधायक हरीश जनारथा, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष देवेन्द्र श्याम, हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान, कांग्रेस के नेता सतपाल रायजादा और सुरेंद्र मनकोटिया, निदेशक पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मानसी सहाय ठाकुर, उपायुक्त अनुपम कश्यप और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

# लोगों के लिए वरदान साबित हो रही राजस्व लोक अदालतें: जगत सिंह नेगी

**शिमला/शैल।** राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश

सरकार द्वारा आयोजित की जा रही राजस्व लोक अदालतें लोगों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। इन अदालतों के माध्यम से वर्षों से लम्बित मामलों को जल्द निपटाया जा रहा है।

राजस्व मंत्री ने कहा कि 28 तथा 29 फरवरी, 2024 को प्रदेशभर में राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया गया। इस दौरान इंतकाल के 16748, तकसीम के 936, निशानदेही के 2330 तथा राजस्व दुरूस्ती इंद्राज के 517 मामलों सहित कुल 20531 मामलों का निपटारा किया गया।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को त्वरित सेवाएं प्रदान करने के लिये प्रतिबद्ध है। राजस्व विभाग द्वारा इसी उद्देश्य के तहत प्रत्येक माह के अन्तिम दो कार्य दिवस पर राजस्व लोक अदालतों का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है जिनमें लोगों के राजस्व सम्बन्धित कार्यों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जा रहा है।

# उपयोग प्लेटफार्म शहरी स्थानीय निकायों की ई-सेवाओं में क्रांति लायेगा: मुख्यमंत्री

## 60 यूएलबी के लिये जल्द ही ई-सेवाएं शुरू करने की योजना

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी 60 शहरी स्थानीय निकायों यूएलबी में ई-गवर्नेंस सेवाएं शुरू कर रही है। इस पहल का उद्देश्य वृहद राज्य-व्यापी सेवा वितरण अधोसंरचना के माध्यम से एकीकृत व पूर्ण समाधान प्रदान करके नागरिकों के लिये सार्वजनिक सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाना है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन एनयूडीएम के तहत अर्बन प्लेटफार्म फॉर डिलीवरी आफ ऑनलाइन गवर्नेंस उपयोग प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन के लिये आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। यह प्लेटफार्म प्रदेशवासियों के लिये एकीकृत पोर्टल प्रदान करके शहरी सेवाओं को डिजिटल बनाने और बदलने के लिए तैयार किया गया है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नागरिकों को शहरी सेवाओं की सरल उपलब्धता, स्वचालित स्थिति अपडेट और शहर के अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित होगा, जबकि शहरी स्थानीय निकाय उत्पादकता में वृद्धि, सेवाओं की बेहतर समयबद्ध डिलीवरी, बेहतर राजस्व सृजन और डेटा-संचालित निष्पादन करेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार को योजना और नीतियां बनाने, परियोजना लक्ष्यों के आधार पर निधि वितरण में तेजी लाने और विभिन्न शहरों के बीच नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में वास्तविक डेटा से लाभप्रद सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सामान्य एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में ई-गवर्नेंस सेवाओं को लागू करने की पहल का उद्देश्य प्रौद्योगिकी एकीकरण के माध्यम से शहरों की गवर्नेंस में पारदर्शिता, दक्षता और समन्वय को बढ़ाना है। राज्य सरकार विभिन्न विभागों में प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिये प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि उपयोग प्लेटफार्म की संचालन के लिये कार्यान्वयन योजना के रूप में राज्य स्तर पर स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट की स्थापना की जायेगी। इसके अतिरिक्त इस पहल में शहरी स्थानीय निकायों में संपत्ति मानचित्रण और सर्वेक्षण के लिये ड्रोन-आधारित भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग और परिवार रजिस्टर तैयार करने के लिए प्रत्येक परिवार का सर्वेक्षण शामिल है। उन्होंने कहा कि उपयोग प्लेटफार्म माइक्रो-सेवा- आधारित डिजिटल बुनियादी ढांचा है जो राज्य सरकारों को नागरिकों के लिए शहरी सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिये सभी शहरी स्थानीय निकायों में स्थानीय रूप से प्रासंगिक ऑनलाइन समाधान प्रदान करता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-गवर्नेंस सेवाओं के कार्यान्वयन से राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में नागरिकों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आयेगा, जिससे नगरपालिका प्रशासन सरल, अधिक उत्तरदायी और पारदर्शी बनेगा।

# राज्य स्तरीय समिति ने औद्योगिक विकास योजना के 60 दावे किये मंजूर

## प्लांट एवं मशीनरी में 721.78 करोड़ रुपये का निवेश

**शिमला/शैल।** प्रधान सचिव उद्योग, आरडी नजीम ने राज्य स्तरीय समिति की 12वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की औद्योगिक विकास योजना के अन्तर्गत दावों को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक के दौरान समिति द्वारा कुल 60 दावों को मंजूरी प्रदान की गई। इसमें प्लांट एवं मशीनरी में 721.78 करोड़ रुपये का निवेश और 2118 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। इन मामलों में कुल 235.72 करोड़ रुपये की सब्सिडी घटक शामिल हैं और यह मामले भारत सरकार को भेजे जायेगे ताकि सब्सिडी शीघ्र प्राप्त हो सके।

समिति के सदस्य सचिव एवं निदेशक उद्योग राकेश कुमार प्रजापति ने राज्य स्तरीय समिति के समक्ष दावे प्रस्तुत किये और मामला दर मामला विश्लेषण के आधार पर निर्णय लिया गया। इस औद्योगिक विकास योजना की मुख्य विशेषताओं में सभी पात्र नई उद्योग इकाइयों और प्रदेश में स्थापित सभी पात्र औद्योगिक इकाइयों के विस्तार के लिये ऋण तक पहुंच के लिये केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन सीसीआईआईएसी शामिल है। यह प्रोत्साहन संयंत्र और मशीनरी में निवेश का 30 प्रतिशत या अधिकतम 5 करोड़ रुपये है। ऐसी इकाइयां अखिल भारतीय फायर टैरिफ के अनुसार फायर पॉलिसी 'सी' में शामिल हैं और भवन व संयंत्र एवं मशीनरी के बीमा पर 100 प्रतिशत बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति के लिये भी पात्र होंगी, जो वाणिज्यिक उत्पादन/संचालन शुरू होने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिये कार्यरत रही हैं। यह योजना 1 अप्रैल, 2027 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के दौरान स्थापित और विस्तार प्रदान की गई इकाइयों के लिये है।

# साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये बहुआयामी गतिविधियों का आयोजन

**शिमला/शैल।** पर्यटन और नागरिक उड्यन विभाग विभिन्न हितधारकों के सहयोग से राज्य में मार्च माह के मध्य तक विभिन्न साहसिक व रोमांचकारी कार्यक्रम व स्पर्धाएं आयोजित कर रहा है। इससे प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण पर्यटन स्थलों को प्रोत्साहित करने तथा राज्य में और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी।

प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि लाहौल में 11000 फुट की औसत ऊंचाई पर स्नो-मैराथन का तीसरा संस्करण 10 मार्च, 2024 को आयोजित किया जायेगा। इसके अन्तर्गत पुरुष, महिला और जूनियर श्रेणी के लिये 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर मैराथन चार प्रारूपों में आयोजित की जाएंगी। शीतकालीन रोमांच के अनुभव के लिये एक किलोमीटर की 'जॉय रेस' इस दौरान आकर्षण का मुख्य केन्द्र होगी।

प्रवक्ता ने बताया कि किन्नौर और लाहौल-स्पीति के रमणीय जनजातीय क्षेत्रों को वैश्विक पर्यटन पटल पर लाने और पर्यटकों को शीतकालीन गतिविधियों का रोमांचकारी अनुभव करवाने के लिये मार्च माह में मैसर्ज ला हिमालय, माउंटेन गोट एक्सपीडिशन द्वारा नारकंडा, बागा सराहन, सांगला, ताबो-काजा को कवर करते हुए स्नो-ड्राइव यात्राएं आयोजित की जा रही हैं। इसका उद्देश्य राज्य में शीतकालीन साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने और हिमाचल के अनुछुए गंतव्यों स्थलों को प्रोत्साहन प्रदान करना है।

उन्होंने बताया कि 4 से 9 मार्च, 2024 तक पंडोआ तत्तापानी में एशियन राफ्टिंग चैम्पियनशिप का आयोजन भारतीय राफ्टिंग महासंघ के साथ-साथ भारतीय सेना के सहयोग से किया जाएगा।

# स्वास्थ्य मंत्री ने किया पोलियो टीकाकरण अभियान का शुभारम्भ

**शिमला/शैल।** स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल ने पोलियो दिवस के अवसर पर बच्चों को पोलियो खुराक पिलाकर पोलियो टीकाकरण अभियान का शुभारम्भ किया। उन्होंने भारत को पोलियो मुक्त बनाने के लिये देश के स्वास्थ्य तथा चिकित्सा कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश में 10,963 दलों द्वारा 5,870 केन्द्रों में 5,90,600 बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई जायेगी।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया है, लेकिन हमारे पड़ोसी देशों में पोलियो के मामले होने के कारण नियमित अन्तराल में प्रत्येक बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे को इस अभियान के तहत कवर करने के लिए उनके घरद्वार के समीप विभिन्न पोलियो टीकाकरण केन्द्र खोले गए हैं। इसके अतिरिक्त, बस अड्डों, जिलों की

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बर्फबारी सीमाओं, यात्री स्थलों तथा अन्य महत्वपूर्ण जन स्थलों पर भी पोलियो की खुराकें पिलाई जायेगी। सरकार टीकाकरण अभियान में छूटे हुए बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने के लिये घर-घर जाकर भी अभियान आरम्भ करेगी। तथा शीतलहर के कारण लाहौल-स्पिति, किन्नौर तथा जिला चम्बा के पांगी के अलावा पूरे प्रदेश में पोलियो टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इन क्षेत्रों में 7 अप्रैल, 2024 को पोलियो की खुराक पिलाई जायेगी।

“ आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता – यह बंधन की त्रिमूर्तियां हैं।”
..... स्वामी विवेंकानंद

## सम्पादकीय

# हिमाचल बना कांग्रेस हाईकमान की परीक्षा

क्या हिमाचल का घटनाक्रम कांग्रेस हाईकमान के लिये एक चेतावनी है? यह सवाल इसलिये प्रसांगिक है कि हाईकमान ने उसके पास सुक्खू सरकार को लेकर आ रही शिकायतों का समय रहते संज्ञान नहीं लिया। यह संज्ञान न लेने का परिणाम प्रदेश वर्तमान घटनाक्रम है। कांग्रेस जब विपक्ष में थी तब जयराम सरकार के खिलाफ यह आरोप लगाती थी कि इस सरकार ने प्रदेश को कर्ज के चक्रव्यूह में डाल दिया है। कर्ज के इन आरोपों का अर्थ था कि कांग्रेस को प्रदेश की वित्तीय स्थिति का पूरा ज्ञान था। लेकिन कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिये दस गारंटीया जारी कर दी। सरकार ने इन गारंटीयों पर कोई कदम न उठाने के लिये प्रदेश की जनता के श्रीलंका जैसे हालात होने की चेतावनी दे दी। यह चेतावनी देने के बाद सरकार ने छ: सीपीएस और एक दर्जन से अधिक गैर विधायकों को सलाहकार आदि बनाकर अपने खर्च बढ़ा लिये। दूसरी ओर आम आदमी के लिये सेवाओं और वस्तुओं के दाम बढ़ाकर उस पर बोझ डाल दिया। इस तरह सरकार की कथनी और करनी का विरोधाभास साफ सामने आ गया। ऊपर से पार्टी के कार्यकर्ताओं का सरकार में समायोजन न होने से अधिकांश लोग हताश होकर घर बैठ गये। इसी के साथ सरकार ने हर माह एक हजार करोड़ से ज्यादा कर्ज लेना शुरू कर दिया। इस स्थिति ने विपक्षी भाजपा को आक्रामक होने का अवसर दे दिया और उसने आरटीआई के माध्यम से कर्ज के तथ्य जुटाकर सार्वजनिक कर दिये। इस वस्तुस्थिति से कांग्रेस के अन्दर भी विचार-विमर्श चला लेकिन मुख्यमंत्री स्थिति का सही आकलन नहीं कर पाये। जब मुख्यमंत्री के स्तर पर कुछ नहीं हुआ तब शिकायतें हाईकमान के पास पहुंची। लेकिन अंतिम परिणाम वहां भी शून्य रहा। लोकसभा चुनाव के परिदृश्य में सरकार के खिलाफ उभरता रोष हर कांग्रेसजन के लिये चिन्ता का कारण बनता गया। क्योंकि फील्ड से यह स्पष्ट संकेत उभरने लगे की पार्टी चारों सीटों पर हार जायेगी। कोई भी मंत्री लोकसभा चुनाव लड़ने के लिये तैयार नहीं हुआ। क्योंकि सरकार एक भी फैसला जनहित का प्रमाणित नहीं हुआ। यह विभिन्न वर्गो के धरने प्रदर्शनों से रोज सामने आ रहा था। मुख्यमंत्री व्यवस्था परिवर्तन के जुमले से बाहर नहीं निकल पाये। प्रदेश की इस स्थिति पर हाईकमान पर कुछ सीधे सवाल उठते हैं। क्या दस गारंटीयां जारी करते हुये प्रदेश की वित्तीय स्थिति का ज्ञान नहीं था? क्या इन गारंटीयों को पूरा करन के लिए प्रदेश पर और कर्ज भार बढ़ाने का रास्ता चुना गया था? क्या कर्ज लेने के बाद भी कोई गारंटी पूरी हो पायी है? क्या गारंटीयां अंतिम वर्ष में पूरी करने का वायदा किया गया था। जब प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नही थी तो फिर सीपीएस और सलाहकारों का ब्रिगेड खड़ा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या पार्टी का प्रभारी भी इस वस्तु स्थिति का आकलन नहीं कर पाया? जब हाईकमान के पास प्रदेश को लेकर शिकायतें जा रही थी तो उनका संज्ञान लेकर चीजें सुधारने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? आज प्रदेश की जो परिस्थितियां हैं क्या उनमें कांग्रेस को अपनी राज्य सरकारों पर बराबर नजर नही रखनी चाहिये थी? राज्य सरकारों का आचरण ही हाईकमान की नीतियों का आईना बनता है। पांच राज्यों के चुनाव में भी हिमाचल सरकार की परफॉरमैन्स रिपोर्ट कार्ड चर्चा में रहा है। छत्तीसगढ़ में हिमाचल की गारंटीयों पर विशेष चर्चा हुई है। इस समय प्रदेश की चारों सीटों पर कांग्रेस की हार पुख्ता हो गयी है। नाराज विधायकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज हाईकमान ने मुख्यमंत्री न बदलकर प्रदेश से कांग्रेस को लम्बे समय के लिये सत्ता से बाहर रखने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। क्या मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री कार्यकर्ताओं को संदेश देने के लिये लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार होंगे? यदि इस संकट के लिये बागी दोषी हैं तो इसका जवाब इन मंत्रियों या इनके परिजनों को लोस उम्मीदवार बनाकर ही दिया जा सकता है अन्यथा नेतृत्व परिवर्तन के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। यदि ऐसा नहीं होता है तो इसका अन्य राज्य पर भी प्रभाव पड़ेगा यह तय है।

# लैंगिक समानता का मूल चिंतन

डॉ. नीलम महेंद्र

ईश्वर की बनाई इस सृष्टि में मानव के रूप में जन्म लेना एकदुर्लभ सौभाग्य की बात होती है। और जब वो जन्म एक स्त्री के रूप में मिलता है तो वो परमसौभाग्य का विषय होता है। क्योंकि स्त्री ईश्वर की सबसे खूबसूरत वो कलाकृति है जिसे उसने सृजन करने की पात्रता दी है। सनातन संस्कृति के अनुसार संसार के हरजीव की भांति स्त्री और पुरुष दोनों में ही ईश्वर का अंश होता है लेकिन स्त्री को उसने कुछ विशेष गुणों से नवाजा है। यह गुण उसमें नैसर्गिक रूप से पाये जाते हैं जैसे सहनशीलता, कोमलता, प्रेम, त्याग, बलिदान ममता। यह स्त्री में पाये जाने वाले गुणों की ही महिमा होती है कि अगर किसी पुरुष में स्त्री के गुणप्रवेश करते हैं तो वो देवत्व को प्राप्त होता है लेकिन अगर किसी स्त्री में पुरुषों के गुण प्रवेश करते हैं तो वो दुर्गा का अवतार चंडी का रूप धर लेती है जो विध्वंसकारी होता है। किंतु वही स्त्री अपने स्त्रियोचित नैसर्गिक गुणों के साथ एक गृहलक्ष्मी के रूप में अन्नपूर्णा और एक माँ के रूप में ईश्वर स्वरूपा बन जाती है।

देखा जाश तो इस सृष्टि के क्रम को आगे बढाने की प्रक्रिया में जो जिम्मेदारियां ईश्वर ने एक स्त्री को सौंपी हैं उनके लिये एक नारी में इन गुणों का होना आवश्यक भी है। लेकिन इसके साथ ही हमारी सनातन संस्कृति में शिव का अर्धनारीश्वर रूप हमें यह भी बताता है कि स्त्री और पुरूष एक दूसरे के पूरक हैं प्रतिद्वंद्वी नहीं और स्त्री के ये गुण उसकी शक्ति हैं कमजोरी नहीं। भारत तो वो भूमि रही है जहां प्रभु श्री राम ने भी सीता माता की अनुपस्थिति में अश्वमेध यज्ञ उनकी सोने की मूर्ति के साथ किया था। भारत की संस्कृति तो वो है जहाँ कृष्ण भगवान को नन्दलाल कहा जाता था तो वो देवकी नंदन और यशोदा नन्दन भी थे। श्री राम दशरथ नन्दन थे तो कौशल्या नन्दन होने के साथ साथ सियावर भी थे। भारत तो वो राष्ट्र रहा है जहाँ मैत्रैयी गार्गी इंद्राणी लोपमुद्रा जैसी वेद मंत्र दृष्टा विदुषी महिलाएं थीं तो कैकई जैसी रानीयां भी थी जो युद्ध में राजा दशरथ की सारथी ही नहीं थीं बल्कि युद्ध में राजा दशरथ के घायल होने की अवस्था में उनकी प्राण रक्षक भी बनीं। लेकिन इसे क्या कहा जाये कि स्त्री शक्ति के ऐसे गौरवशाली सांस्कृतिक अतीत के बावजूद वर्तमान भारत में महिलाओं को सामाजिक रूप सशक्त करने की दिशा में सरकारों को महिला दिवस मनाने जैसे विभिन्न प्रयास करने पढ़ रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि आज जब हम महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं और लैंगिग समानता की बात करते हैं तो हम मुद्दा तो सही उठाते हैं लेकिन विषय से भटक जाते हैं। मुद्दे की अगर बात करें, तो आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपने कदम रख रही हैं। धरती हो या आकाश आईटी सैक्टर हो या मेकैनिकल समाजसेवा हो या राजनीति महिलाएं आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही हैं। और अपनी कार्यकुशलता के दम पर अपनी प्रतिभा का लोहा भी मनवा रही हैं। आज विश्व के अनेक देशों के शीर्ष पदों पर महिलाएं विराजमान हैं। इसके अलावा आज के आत्मनिर्भर भारत के इस दौर में अनेक महिला उद्यमी देश की तरक्की में अपना योगदान दे रही हैं। लेकिन यह तसवीर का एक रुख है।

तस्वीर का दूसरा रुख है 2021 की एक सर्वे रिपोर्ट जिसमें यह बात सामने आती है कि 37 प्रतिशत महिलाओं को उसी काम के लिए पुरुषों के मुकाबले कम वेतन दिया जाता है। 85 फीसद महिलाओं का कहना है कि उन्हें पदोन्नति और वेतन के मामले में नौकरी में पुरुषों के समान अवसर नहीं मिलते। लिंक्डइन की इस सर्वे रिपोर्ट केअनुसार आज भी कार्य स्थल पर कामकाजी महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। महिलाओं को काम करने के समान अवसर उपलब्ध कराने के मामले में 55 देशों की सूची में भारत 52 वें नम्बर पर है। इसे क्या कहा जाये कि हम वैश्विक स्तर पर महिला दिवस जैसे आयोजन करते हैं जिसमें महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने की बातें करते हैं लेकिन जब तनख्वाह, पदोन्नति, समान अवसर प्रदान करने जैसे विषय आते हैं तो हम 55 देशों की सूची में अंतिम पायदानों पर होते हैं।

जाहिर है कि जब इस मुद्दे पर चर्चा होती है तो अनेक तर्क वितर्को के माध्यमों से महिला सशक्तिकरण से लेकर नारी मुक्ति और स्त्री उदारवाद से लेकर लैंगिक समानता जैसे भारी भरकम शब्द भी सामने आते हैं। और यहीं हम विषय से भटक जाते हैं। क्योंकि उपरोक्त विमर्शो के साथ शुरू होता है पितृ सत्तात्मक समाज का विरोध। यह विरोध शुरू होता है पुरुषों से बराबरी के आचरण के साथ। पुरुषों जैसे कपड़ों से लेकर पुरुषों जैसा आहार विहार जिसमें मदिरा पान सिगरेट सेवन तक शामिल होता है। जाहिर है कि तथा कथित उदारवादियों का स्त्री विमर्श का यह आंदोलन उदारवाद के नाम पर फूहड़ता के साथ शुरू होता है और समानता के नाम पर मानसिक दिवालियेपन पर खत्म हो जाता है।

हमें यह समझना चाहिए कि जब हम महिलाओं के लिए लैंगिग समानता की बात करते हैं तो हम उनके साथ होने वाले लैंगिग भेदभाव की बात कर रहे होते हैं। इस क्रम में समझने वाला विषय यह है कि अगर यह लैंगिग भेदभाव केवल महिलाओं द्वारा पुरुषों के समान कपड़े पहनने या फिर आचरण रखने जैसे सतही आचरण से खत्म होना होता तो अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे तथाकथित विकसित और आधुनिक देशों में यह कब का खत्म हो गया होता। लेकिन सच्चाई तो यह है कि इन देशों की महिलाएं भी अपने अधिकारों के लिये आज भी संघर्ष कर रही हैं। दरअसल महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जब हम महिला अधिकारों के लिए लैंगिग समानता की बात करते हैं तो उसके मूल में एक वैचारिक चिंतन होता है कि एक सभ्य और विकसित समाज अथवा परिवार अथवा एक व्यक्ति के रूप में महिलाओं के प्रति हमारा व्यवहार समान, हमारी सोच समान, हमारा दृष्टिकोण समान, समान कार्य के लिए उन्हें दिया जाने वाला वेतन पुरुष के समान और जीवन में आगे जाने के लिए उन्हें मिलने वाले अवसर समान रूप से उपलब्ध हों। जिस दिन किसी भी क्षेत्र में आवेदक अथवा कर्मचारी को उसकी योग्यता के दम पर आंका जायेगा ना कि उसके महिला या पुरुष होने के आधार पर, तभी सही मायनों में हम महिला दिवस जैसे आयोजनों के प्रयोजन को सिद्ध कर पायेंगे।

# एक करोड़ घरों में छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने हेतु मुफ्त बिजली योजना

**शिमला।** प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने और एक करोड़ घरों के लिए हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने हेतु 75,021 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ **पीएम – सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना** को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री ने 13 फरवरी, 2024 को इस योजना की शुरुआत की थी।

इस योजना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

**आवासीय छत पर सौर ऊर्जा के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)**

i) यह योजना 2 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए प्रणालीगत लागत के 60 प्रतिशत और 2 से 3 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए अतिरिक्त प्रणालीगत लागत के 40 प्रतिशत के बराबर सीएफए प्रदान करेगी। सीएफए को 3 किलोवाट पर सीमित किया जाएगा। मौजूदा मानक कीमतों पर, इसका आश्य 1 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट या उससे अधिक वाली प्रणाली के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी से होगा।

ii) इस योजना में शामिल होने वाले परिवार राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी के लिए आवेदन करेंगे और छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए एक उपयुक्त विक्रेता का चयन करने में सक्षम होंगे। राष्ट्रीय पोर्टल स्थापित की जाने वाली प्रणाली के उचित आकार, लाभ की गणना, विक्रेता की रेटिंग आदि के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्रदान करके परिवारों को उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करेगा।

ii) इस योजना में शामिल होने वाले परिवार 3 किलोवाट तक के आवासीय आरटीएस प्रणाली की स्थापना हेतु वर्तमान में लगभग 7 प्रतिशत के गारंटी-मुक्त कम-ब्याज वाले ऋण का लाभ उठाने में सक्षम होंगे।

**योजना की अन्य विशेषताएं**

i) ग्रामीण क्षेत्रों में छत पर सौर ऊर्जा अपनाने के अनुकरणीय उदाहरण के रूप में देश के प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर गांव विकसित किया जाएगा।

ii) शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं भी अपने क्षेत्रों में आरटीएस स्थापनाओं को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न प्रोत्साहनों से लाभान्वित होंगी।

iii) यह योजना नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी द्धआरईएससीओऋ आधारित म डलों के लिए भुगतान संबंधी सुरक्षा के लिए एक घटक के साथ-साथ आरटीएस में नवीन परियोजनाओं के लिए एक कोष प्रदान करेगी।

**परिणाम और प्रभाव**

इस योजना के माध्यम से, शामिल घर बिजली बिल बचाने के साथ-साथ डिस्कॉम को अधिशेष बिजली की बिक्री के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम होंगे। 3 किलोवाट क्षमता वाली एक प्रणाली एक घर के लिए औसतन प्रति माह 300 से अधिक यूनिट उत्पन्न करने में सक्षम होगी।

प्रस्तावित योजना के परिणामस्वरूप आवासीय क्षेत्र में छत पर स्थापित सौर ऊर्जा के माध्यम से 30 गीगावॉट की सौर क्षमता की बढ़ोतरी होगी, जिससे 1000 बीयू बिजली पैदा होगी और छत पर स्थापित सौर ऊर्जा प्रणाली के 25 साल के जीवनकाल में 720 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन में कमी आएगी।

अनुमान है कि यह योजना विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, आपूर्ति श्रृंखला, बिक्री, स्थापना, ओ एंड एम और अन्य सेवाओं में लगभग 17 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करेगी।

**पीएम – सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाएं**

सरकार ने इस योजना की शुरुआत के बाद से जागरूकता बढ़ाने और इच्छुक परिवारों से आवेदन प्राप्त करने हेतु एक व्यापक अभियान शुरू किया है। इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक परिवार https://pmsuryagarh.gov.in पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।

# ईसीआई की राजनीतिक दलों को सार्वजनिक प्रचार के दौरान मर्यादा बनाये रखने की चेतावनी

**शिमला।** हाल में संपन्न चुनावों में राजनीतिक प्रचार से जुड़े विमर्श के गिरते स्तरों की विभिन्न प्रवृत्तियों और मामलों पर गौर करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को सार्वजनिक प्रचार में मर्यादा और अत्यधिक संयम बनाये रखने तथा चुनाव प्रचार को 'मुद्दा' आधारित बहस के स्तर तक ले जाने के लिए परामर्श जारी किया है।

आयोग ने चुनाव के दौरान स्टार प्रचारकों और उम्मीदवारों को भी उल्लंघनों के ऐसे मामले के संबंध में 'चेतावनी' दी है, जिन्हें आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) से बचने के लिए पहले से ज्ञात तरीकों का पालन कर अंजाम दिया जाता है। निर्वाचन आयोग एमसीसी के ऐसे किसी भी अप्रत्यक्ष उल्लंघन का आकलन परामर्श के अनुसार करेगा, ताकि आगामी चुनावों में समय और सामग्री के संदर्भ में दिये जाने वाले नोटिसों में उचित आधार बदलाव किया जा सके।

**ईसीआई ने 2024 के आम चुनावों से पहले राजनीतिक दलों को सार्वजनिक प्रचार के दौरान मर्यादा बनाये रखने की चेतावनी दी**

**एमसीसी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उल्लंघनों पर कड़ी कारवाई के लिए चेताया**

**एमसीसी के उल्लंघनों के संबंध में ईसीआई ने स्टार प्रचारकों और उम्मीदवारों को एमसीसी के तहत अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी**

**एमसीसी की सख्ती से बचने के लिए ज्ञात पद्धतियों का उपयोग कर हुए अप्रत्यक्ष उल्लंघनों के पिछले उदाहरणों का परामर्श में हवाला दिया गया**

लोकसभा के आम चुनाव और चार राज्य विधानसभाओं के आम चुनाव के लिए, चुनाव के सभी चरण और भौगोलिक क्षेत्र 'दोहराये गयें' अपराधों को निर्धारित करने का आधार होंगे।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीतने का समान अवसर प्रदान करने के बीच संतुलन बनाये रखने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए इस परामर्श में कहा गया है कि आयोग पिछले कुछ दौर के चुनावों से आत्म-संयम का दृष्टिकोण यह मानते हुये अपना रहा है, कि उसका नोटिस प्रत्याशी या स्टार प्रचारक के लिये नैतिक निंदा का काम करेगा। आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले आदेशों को स्पष्ट रूप से निषेधों की बजाये, चुनाव प्रचार की गतिविधियों में न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है। हालाकि, नैतिक निंदा जैसे एमसीसी नोटिस का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करके चर्चा के स्तर को नियंत्रित रखने के उद्देश्य को गलत नहीं समझा और अगले चुनाव चक्र में दोहराया नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त, परामर्श में स्वीकार किया गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के उभरते परिदृश्य ने पूर्व-एमसीसी और 48 घंटे की मौन अवधि के बीच की रेखाओं को धुंधला कर दिया है, जिससे प्रचार के कई चरणों और यहां तक कि असंबद्ध चुनावों में भी सामग्री का लगातार प्रसार हो रहा है।

## राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों के लिए परामर्श

➪ मतदाताओं की जाति/सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी। ऐसी कोई भी गतिविधि करने का प्रयास नहीं किया जाएगा- जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ा सकती है या परस्पर वैमनस्य पैदा कर सकती है या विभिन्न जातियों/समुदायों/धार्मिक /भाषाई समूहों के बीच तनाव पैदा कर सकती है।

➪ राजनीतिक दल और नेता मतदाताओं को गुमराह करने के उद्देश्य से झूठे वक्तव्य, तथ्यात्मक आधार के बिना ब्यानबाजी नहीं करेंगे। असत्यापित आरोपों या विकृतियों के आधार पर अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना से बचना चाहिए।

➪ अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के निजी जीवन के किसी भी ऐसे पहलू की आलोचना नहीं की जानी चाहिए, जिसका सार्वजनिक गतिविधियों से कोई संबंध न हो। प्रतिद्वंद्वियों का अपमान करने के लिए निम्न स्तर के निजी हमले नहीं किये जायेंगे।

➪ चुनाव प्रचार या चुनाव अभियान के लिए किसी भी मंदिर/मस्जिद/चर्च/गुरुद्वारे या किसी भी पूजा स्थल का उपयोग नहीं किया जाना चाहिये। भक्त और देवता के बीच संबंधों का उपहास करने वाले या दैवीय निंदा के सुझाव देने वाले संदर्भ नहीं दिये जाने चाहिए।

➪ राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को ऐसे किसी भी कार्य/कारवाई /कथन से बचना चाहिए जिसे महिलाओं के सम्मान और गरिमा के प्रतिकूल माना जा सकता है।

➪ मीडिया में असत्यापित एवं भ्रामक विज्ञापन नहीं दिए जाने चाहिए।

➪ समाचार आइटम की आड़ में विज्ञापन नहीं दिये जाने चाहिए।

➪ प्रतिद्वंद्वियों की निंदा और अपमान करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट या ऐसे पोस्ट जो दुर्भावनापूर्ण हों या जो गरिमा के प्रतिकूल हों, उन्हें पोस्ट या साझा नहीं किया जाना चाहिए।

आयोग ने सभी राजनीतिक दलों, उनके नेताओं और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से आदर्श आचार संहिता और कानूनी ढांचे के दायरे में रहने का आग्रह किया है। इस बात पर जोर दिया गया है कि एमसीसी के किसी भी प्रकार के सरोगेट या अप्रत्यक्ष उल्लंघन और चुनाव प्रचार के स्तर को गिराने के सरोगेट साधनों से आयोग द्वारा कड़ी कारवाई से निपटा जाएगा।

## पिछले चुनावों के दौरान देखे गए एमसीसी के अप्रत्यक्ष/सरोगेट उल्लंघनों के कुछ तरीकों को तत्काल संदर्भ और रिकॉर्ड के लिए सूचीबद्ध किया गया है

- अन्य राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों के खिलाफ अनुचित, कभी- कभी अपमानजनक शब्दावली का उपयोग
- झूठे, अप्रमाणित, निराधार, गलत और असत्यापित आरोप,
- दैवीय निंदा/व्यक्तिगत निंदा करने वाले दुर्वचन, व्यंग्य के दायरे को पार करते, बदनाम और अपमान करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट/कैरिकेचर का उपयोग
- सोशल मीडिया पोस्ट को संदर्भ से हटकर अक्सर ग़लत सूचना या दुष्प्रचार फैलाने के लिए प्रस्तुत करना
- मतदान से ऐन कुछ दिन पहले समाचारों की आड़ में भ्रामक विज्ञापन, जो जीतने का समान अवसरों को बाधित कर सकते हैं
- राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर निजी हमला और प्रतिद्वंद्वी दलों के उम्मीदवारों का उपहास करना
- राज्य सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं को चुनाव प्रक्रिया से गुजर रहे पड़ोसी राज्यों में उचित समय पर प्रकाशित कर रही है
- मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करते हुए ऐसी अस्तित्वहीन योजनाओं के तहत वादों को पूरा करने के लालच देकर पंजीकरण करने को कहा जाता है, जो प्राय: झूठे वादों के जरिए मतदाताओं को रिश्वत देने के समान होता है।
- मतदाताओं के एक समूह के विरुद्ध सामान्य टिप्पणियां करने के लिए उम्मीदवार के नाम का उपयोग

**जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 77 के तहत 'स्टार प्रचारक' के रूप में नामित राजनीतिक दल के नेता महत्वपूर्ण राजनीतिक रैलियों के दौरान भाषण देते हैं। इसकी व्याख्या सामंजस्यपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण विधान के ढांचे के भीतर करना आवश्यक है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) और कानून के वैधानिक प्रावधान एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए, धारा 77 द्वारा दिए गए विशेषाधिकारों का उपयोग करते हुए, चुनाव अभियानों के दौरान स्टार प्रचारक उच्चतम नैतिक मानकों को बनाये रखने की जिम्मेदारी भी वहन करते हैं।**

# मुख्यमंत्री ने कसौली विधानसभा क्षेत्र में 88.78 करोड़ रुपये की 13 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन जिला के कसौली विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे के दौरान 88.78 करोड़ रुपये की 13 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए।

मुख्यमंत्री ने मंडोधार में 12.69 करोड़ रुपये से निर्मित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सब्जी मंडी धर्मपुर में 72 लाख लाख रुपये से निर्मित एपीएमसी विश्राम गृह और बड़ोग, बोहली, भोजनगर बस्तियों के लिए 8.01 करोड़ रुपये की उठाऊ जलापूर्ति योजनाओं का लोकार्पण किया।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 18.83 करोड़ रुपये लागत के धर्मपुर से कठनी सड़क के उन्नयन कार्य, 9.40 करोड़ रुपये से गम्भरपुल से ममलीग सड़क के उन्नयन कार्य, 11.29 करोड़ रुपये से लौहांजी से काटल-कठार-मड़ी का घाट सड़क के उन्नयन,10.01 करोड़ रुपये से सुखी जोहड़ी-कडां -काटल का बाग सड़क के सुधार कार्य, 1.55 करोड़ रुपये से गांव भनेत के सम्पर्क मार्ग, 1.33 करोड़ रुपये से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुल्तानपुर की विज्ञान प्रयोगशाला, 1.20 करोड़ रुपये से निर्मित होने वाली उठाऊ सिंचाई योजना सुधार हरिपुर, 1.61 करोड़ रुपये लागत के ग्राम पंचायत भवन सुल्तानपुर, 12.14 करोड़ रुपये लागत की परवाणु टाउनशिप और हिम एरा शॉप मार्ट जाबली में औद्योगिक सड़कों के उन्नयन कार्यों के शिलान्यास किए।

धर्मपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के कुछ विधायकों ने अपना ईमान बेच दिया और पार्टी के विरुद्ध जाकर राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट किया। उन्होंने कहा ''जिन लोगों ने क्रॉस वोट के लिये अनैतिक आचरण अपनाया, पार्टी को धोखा दिया, उन्हें कोई दैवीय ताकत भी नही बचा सकती। 28 फरवरी को बजट पारित होना था, लेकिन कुछ विधायकों ने स्पीकर को धमकाया। सीपीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस की सुरक्षा में कांग्रेस पार्टी के छः बागी विधायक हेलीकॉप्टर से शिमला पहुंचे, लेकिन बजट पास करवाने के लिये विधानसभा में नही बैठे। बागी छुपे हुये हैं और परिजन भी उनके लिये परेशान हैं।''

उन्होंने कहा कि आम लोगों को लाभ पहुंचाने के लिये वर्तमान राज्य सरकार ने बिना किसी मांग के अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जो शायद भाजपा को पसंद नही आयी। अपने पहले बजट में राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के प्रयास किए, जबकि इस बार दूसरे बजट में आम लोगों के लिये कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि न्यूनतम दिहाड़ी बढ़ाकर 400 रुपये की, विधवा महिलाओं के बच्चों की उच्च शिक्षा का खर्च उठाने के लिए राज्य सरकार योजना लायी तथा दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया, लेकिन जब बजट पारित करने की बारी आयी तो पार्टी के ही छः विधायकों ने विश्वासघात किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की नीतियों के तहत प्रदेश के 4000 अनाथ बच्चे सम्मान के साथ जीवन जी रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, ''मैं आपके लिये आया हूं, आपके लिए काम करूंगा और षड़यंत्रों से डरने वाला नही। प्रदेश की संपदा को किसी भी कीमत पर लुटने नही दूंगा। जो ईमान बेचकर आये हों, वो क्या सेवा करेंगे। धन नही, बल्कि जनता ही वर्तमान राज्य सरकार की ताकत है।''

अपने भावुक सम्बोधन में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष शायद सत्ता के भूखे हैं जबकि मुझे कुर्सी से अधिक जनता की सेवा का मोह है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया, मुसीबतों का डटकर सामना किया है। वर्तमान राज्य सरकार पांच वर्ष का कार्यकाल अवश्य पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि वह राहुल गांधी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने हैं और राहुल गांधी ने ही उन्हें गरीबों की ईमानदारी से सेवा करने की राह दिखाई है। वर्तमान राज्य सरकार आमजन की सरकार है और आम आदमी का शोषण कभी बर्दाश्त नही करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 14 माह के कार्यकाल में प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का सरकार ने प्रयास। पिछले वर्ष प्राकृतिक आपदा के कारण हजारों घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। आम परिवार की भावना को अच्छी तरह से जानता हूं क्योंकि मैं स्वयं आम परिवार से आया हूं, इसलिए नियमों को बदल कर आपदा में 1.30 लाख रुपये की आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 7 लाख रुपये किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कसौली विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग का मण्डल तथा सुबाथू में डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जहां विधायक जमीन उपलब्ध करवाएंगे, वहां खेल का मैदान बनाया जाएगा तथा इसके लिए समुचित धन उपलब्ध करवाया जाएगा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल ने कहा कि लोकतंत्र बलिदानों से मिला है और लोकतंत्र संविधान के अनुरूप चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ लालची लोगों ने लोकतंत्र का गला घोंटने का प्रयास किया, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। उन्होंने कहा कि सुबह का भूला शाम को घर वापिस आ जाये तो उसे भूला नही कहते। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा लायी जा रही कल्याणकारी योजनाएं राजनीति के लिए नही, बल्कि लोगों की सेवा के लिए लायी गयी हैं।

मुख्य संसदीय सचिव चौधरी राम कुमार ने कहा कि सत्ता के भूखे लोगों ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ईमानदारी से लोगों की सेवा कर रहे हैं और सरकार पूरे पांच साल तक चलेगी। पिछले 14 माह में राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नही लगा है। मुख्यमंत्री ईमानदारी से लोगों के काम करने में विश्वास रखते हैं और वे सभी विधायकों द्वारा बताये गये जनहित के कार्यों को प्राथमिकता से पूरा कर रहे हैं।

मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के साथ लाखों लोगों की दुआएं और देवी-देवताओं का आशीर्वाद है। उन्होंने कहा कि धन-बल से सरकार को अस्थिर कर सत्ता को हथियाने की कोशिश की गई, जो निंदनीय है। आने वाली पीढ़ियां इस घटना को इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में याद रखेंगी और इससे पूरा प्रदेश शर्मसार हुआ है। उन्होंने कहा कि 14 माह में वर्तमान सरकार ने 4 चुनावी गारंटियां पूरी की हैं और आने वाले समय में सभी गारंटियां चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएंगी।

स्थानीय विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने कहा कि मुख्यमंत्री एक योद्धा होने के साथ-साथ ईमानदार नेता हैं, जिन्हें संकट के समय भगवान का आशीर्वाद मिला। भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि कुछ साथियों ने उन्हें धोखा दिया है, लेकिन आज सभी विधायक मुख्यमंत्री के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि कसौली का विधायक बिकाऊ नही है और हम सभी हिमाचल के स्वाभिमान को बना कर रखेंगे। उन्होंने कसौली विधानसभा क्षेत्र के लिए 88.78 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर इंटक के प्रदेशाध्यक्ष बाबा हरदीप सिंह, जोगिन्द्रा बैंक के चेयरमैन मुकेश शर्मा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिव कुमार, कसौली ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, कांग्रेस नेता सुरेंद्र सेठी, एपीएमसी सोलन के चेयरमैन रोशन ठाकुर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

# नौणी विश्वविद्यालय में पूर्व छात्रों ने याद किए बीते दिन

**शिमला/शैल।** डॉ. यशवंत सिंह परमार औदयानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के पूर्व छात्र विश्वविद्यालय में आयोजित अलुम्नी मीट के लिए इकटठा हुये। यह कार्यक्रम विभिन्न बैचों के पूर्व छात्रों का एक साथ लाया, जो अपने विश्वविद्यालय के दिनों की यादगार यादों को ताजा करने के लिए उत्सुक दिखे।

इस अवसर पर हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष डॉ. नंद लाल शर्मा मुख्य अतिथि रहे। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद के डीडीजी और निदेशक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विनय कुमार और ओमनी फ्लावर कनाडा के एमडी देवेंदर आसी विशिष्ट अतिथि थे। उपस्थित लोगों में कई भारतीय वन सेवा अधिकारी, विभिन्न सरकारी और सार्वजनिक उद्यमों के प्रशासक, प्रगतिशील किसान और उद्यमी शामिल थे। इस कार्यक्रम में कृषि महाविद्यालय सोलन से 1971 बैच के पासआउट राम लाल शर्मा ने भाग लिया, जो इस बैठक में उपस्थित सबसे पुराने पूर्व छात्र थे। इस अवसर पर पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष डॉ. राज कुमार ठाकुर ने इस यादगार कार्यक्रम के लिए नौणी में एकत्र हुए देश-विदेश के आये पूर्व छात्रों का गर्मजोशी से स्वागत किया।

अपने संबोधन के दौरान, डॉ. नंद लाल शर्मा ने अपने विश्वविद्यालय के दिनों को याद किया और पूर्व छात्र एसोसिएशन द्वारा स्थापित कॉर्पस फंड में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि सभी विश्वविद्यालय के विकास में अपनी भूमिका निभा सके। उन्होंने पूर्व छात्रों से वर्तमान छात्रों के साथ अपने अनुभव साझा करने, मार्गदर्शन और कौशल वृद्धि चर्चाओं को बढ़ावा देने का आग्रह किया। डॉ. नंद लाल शर्मा और देविंदर आसी दोनों ने कॉर्पस फंड में 1 लाख रुपये का योगदान दिया जबकि अनेक प्रतिभागियों ने भी इस फंड में अपना योगदान दिया। इस मौके पर आभार व्यक्त करते हुए कुलपति डॉ. राजेश्वर सिंह चंदेल ने संस्थान के भविष्य को आकार देने में पूर्व छात्रों के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने नियमित रूप से ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन और पूर्व और वर्तमान छात्रों के बीच संबंध मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

इस अवसर पर पूर्व छात्र संघ की नई कार्यकारिणी का चुनाव भी हुआ, जिसमें डॉ. हरीश शर्मा को अध्यक्ष, अजय राणा और डॉ. नीरजा सिंह राणा को उपाध्यक्ष और डॉ. अनिल हांडा को सचिव चुना गया। कार्यक्रम के दौरान एक स्मारिका और छात्र पत्रिका का अनावरण किया गया। 'सृजन आर्ट्स क्लब' द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।

# प्रदेश में 140 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में ग्राम पंचायतों एवं नगर निकायों म्युनिसिपेलेटीज की वित्तीय स्थिति की समीक्षा और प्रदेश सरकार को इस संदर्भ में संस्तुति प्रदान करने के दृष्टिगत 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन का निर्णय लिया गया।

बैठक में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत डेढ़ लाख श्रमिकों, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर एवं हेल्पर को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति-2019 के तहत और मदों को शामिल करने का निर्णय लिया ताकि सूचना प्रौद्योगिकी, आयुष, स्वास्थ्य, पर्यटन और शिक्षा इत्यादि विभिन्न सेवा क्षेत्रों में और अधिक निवेश आकर्षित किया जा सके।

मंत्रिमण्डल ने श्रीनिवास रामानुजन डिजिटल डिवाइस योजना के अंतर्गत मेधावी विद्यार्थियों को 25 हजार रुपये तक की राशि तक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पद्धति अपनाने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिये 140 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति को भी मंजूरी प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला स्थित 50 बिस्तर क्षमता वाले नागरिक अस्पताल सुन्नी को 100 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।

कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के सुरानी में एक नया विकास खंड खोलने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला के कोटखाई क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक पाठशाला, बाघी को राजकीय केन्द्र प्राथमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।

# 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को 1500 रुपये मासिक इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि की घोषणा:मुख्यमंत्री

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश की 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना

सुख-सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपये मासिक प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस योजना को लागू कर प्रदेश सरकार ने अपनी पांचवीं चुनावी गारंटी पूरी की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में अनेक नवोन्मेषी पहल और योजनाएं लागू की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इस योजना का पहला चरण 1 फरवरी, 2024 से शुरू किया था, जिसके तहत जिला लाहौल-स्पीति की महिलाओं व प्रदेश की 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 800 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक व्यय होगा और लगभग पांच लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना के तहत सरकार शीघ्र ही फार्म भरने की प्रक्रिया शुरू करेगी ताकि वे इस योजना का जल्द लाभ उठा सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सत्ता सम्भालते ही 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ देकर अपनी पहली चुनावी गारंटी पूरी की। इससे सेवानिवृत्ति के उपरान्त सरकारी कर्मचारियों का सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित हुआ है। प्रदेश सरकार ने बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना आरम्भ की है। सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम शुरू करने की गारंटी पूरी करने के साथ-साथ गाय व भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में देशभर में ऐतिहासिक वृद्धि की है और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गेहूं और मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आपदा के कारण उपजी विभिन्न चुनौतियों का दृढ़ता से सामना किया और राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए निरन्तर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सभी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। सरकार आय के अतिरिक्त संसाधन जुटाने तथा युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के साधन सृजित करने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है।

# झूठ बोल गये मुख्यमंत्री, बजट में प्रावधान नहीं तो 1500 कहां से: जयराम

**शिमला/शैल।** भाजपा के नेता प्रतिपक्ष एवं वरिष्ठ नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर महिलाओं को गुमराह करने का प्रयास किया है। जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी झूठ बोलकर सत्ता में आयी थी उसी प्रकार महिलाओं को अगले वित्तीय वर्ष से 1500रूपये देने का वादा भी झूठा है।

उन्होंने कहा कि बजट पारित हो चुका है और बजट के पारित होने के 6 दिन बाद यह घोषणा की है, परंतु बजट में प्रावधान ही नहीं है तो घोषणा पूरी कहां से होगी।

1 अप्रैल को आचार संहिता लग जाएगी उसके उपरांत यह 1500 रूपये महिलाओं को कहां से मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश में 2011 की जनगणना के हिसाब से हिमाचल प्रदेश में 38 लाख महिलाएं हैं और 18 से 60 वर्ष की महिलाओं की संख्या 22 लाख है आज के ऐलान के हिसाब से केवल 800 करोड रुपए का वितरण 1500 रूपये प्रति महिला किया जाएगा जिसकी गणना केवल 5 लाख महिला बनती है।

हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा योजना चल रही है जिसमें कुल लाभार्थियों की संख्या 783000 है इसमें महिलाओं की संख्या 4 लाख 55000 है तो क्या केवल मुख्यमंत्री 5 लाख महिलाओं को यह राशि वितरण करने की बात कर रहे हैं?

इस प्रकार की घोषणा ठीक लोकसभा से पहले योजना के अनुसार की गई है इसका मतलब केवल

लोकसभा चुनाव को मध्य नजर रखते यह घोषणा की गई है पर अब हिमाचल प्रदेश के सभी वर्गों का भरोसा इस सरकार से उठ चुका है।

उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश में 22 लाख महिलाओं को 1500 रूपये प्रतिमाह देने का वादा किया था जिसके ऊपर 1 महीने का खर्च 330 करोड़ है इसका मतलब साफ है कि यह सरकार केवल महिलाओं को गुमराह करने का प्रयास कर रही है।

# राज्यसभा सांसद डॉ सिकंदर ने किया भाजपा राष्ट्रीय संकल्प पत्र अभियान का शुभारंभ

**शिमला/शैल।** भाजपा हिमाचल प्रदेश राज्यसभा सांसद डॉ सिंकदर कुमार ने प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए कहा कि कुछ दिनों बाद लोकसभा चुनाव होने वाले है और जब भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव होते हैं तो प्रत्येक राजनीतिक पार्टी अपना-अपना घोषणा पत्र जारी करती है, लेकिन भाजपा संकल्प पत्र जारी करती है और भाजपा संकल्प के साथ आगे बढ़ती है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सहित राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश की अध्यक्षता में संकल्प पत्र अभियान का शुभारंभ किया।

उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र अभियान का भाजपा हिमाचल प्रांत का शुभारंभ करते हुए कहा कि इसमें प्रांत की 3 तरह की टोली इसमें मैनेजमेंट देखेगी। इस संकल्प पत्र में जन जन की भावना इसमें आये। उन्होंने कहा कि जन-जन की भावनाओं को चाहे युवा हो चाहे महिला हो, रोजगार हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, बागवान हो, शिक्षक हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, आदिवासी हो, दलित हो, छात्र हो कर्मचारी हो हर एक व्यक्ति के सुझाव हम संकल्प पत्र में लेंगे, उनको समाहित करेंगे और उन सभी सुझावों को भी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में अपना संकल्प पत्र जारी करेगी।

इस अभियान का जहाँ 26 फरवरी को केंद्र ने शुभारंभ किया था वही हिमाचल प्रदेश में ये अभियान 15 मार्च तक चलेगा। पूरे देश में भी और हमारे साथ प्रदेश का अभियान से शुभारंभ होगा। उन्होंने कहा कि तीन टाइप के सजेशन जो इस अभियान के माध्यम से हम लेंगे सोशल मीडिया जैसे नमो ऐप, सोशल मीडिया के अन्य माध्यम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, वॉट्सऐप इनके माध्यम से भी प्रदेश की जनता से संकल्प पत्र के लिये सुझाव मांगेगें और अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से सुझाव ना भेज सकें तो एक सजेशन बॉक्स जिसके माध्यम से लिखित रूप में अपने सुझाव इस सजेशन बॉक्स में ड्रॉप कर सकता है।

उन्हांने कहा कि 9090902024 इस नंबर पर मिस्ड कॉल देकर भी संकल्प पत्र के लिये सुझाव दे सकेंगे। मंडल स्तर पर भारतीय जनता पार्टी इस संकल्प पत्र को लॉन्च करेगी।

राज्यसभा सांसद डॉ सिंकदर

कुमार ने पत्रकार मित्रों से भी आग्रह करते हुए कहा कि संकल्प पत्र के लिये सुझाव आप दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि 3 से 5 मार्च के बीच में एलईडी वैन लोकसभा क्षेत्र में घुमेंगी और जिसके माध्यम से सजेशन बॉक्स में जनता अपने सुझाव दे सकेंगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की एक वर्कशॉप जिसमें मंडल के संयोजक, जिला के संयोजक और 18 प्रकोष्ठ के प्रांत संयोजक उनकी एक वर्कशॉप होगी और प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बिंदल, जयराम ठाकुर और पूरे प्रदेश की टीम इस पर वर्कशॉप में रहेंगी। उन्होंने कहा कि 15 मार्च तक इस अभियान पूर्ण करना है

उन्होंने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्र पर प्रतिदिन 10 रूट पर जो गाडी चलेगी उसमें 10 सजेशन बॉक्स उस गाड़ी में अलग-अलग स्थानों पर रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से यह तय किया गया है की 1,00,00,000 से ज्यादा सजेशन लोगों से लेंगे और 6000 सजेशन बॉक्स पूरे देश भर में लेने के लिये रखे जाएंगे। सजेशन बॉक्स के माध्यम से जो सुझाव हमारे पास आ जाएंगे उनका कंपैरिजन और प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन करके उनको नमो ऐप पर अपलोड करेंगे।

डॉ सिंकदर कुमार ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी हर एक वर्ग के लिये इतिहासिक कार्य किए है। हर क्षेत्र में चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, मेडिकल साइंस, टेक्नोलॉजी का हो, अंतरिक्ष का हो, खेल अप हो, हर एक क्षेत्र में इस देश में अभूतपूर्व विकास हुआ है और अब ये जो विकास की गंगा आगे भी इस तरह से चलती रहे, उसी दृष्टिगत से यह जो सुझाव हम जन-जन से मांग रहे हैं। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि मेरा मीडिया के माध्यम से जितने सुझाव इस संदेश को जन-जन तक आप पहुंचाए और ज्यादा से ज्यादा सुझाव हमें मिले और जो विकसित भारत 2045 तक बनाने का लक्ष्य मोदी सरकार ने रखा है, आप सबके सहयोग से उस लक्ष्य को प्राप्त करें।

# चुने प्रतिनिधियों को काले नाग की संज्ञा देना अनुचित:विपिन परमार

**शिमला/शैल।** भाजपा के वरिष्ठ नेता, विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू का अपने ही विधायको को काला नाग बोलने वाला ब्यान दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस विधायकों का रोष कांग्रेस सरकार के खिलाफ जाहिर हुआ। कांग्रेस विधायकों की सदस्यता एक फरमान से रद्द कर दी गई। कांग्रेस

की अन्तर्कलह, विधायकों की नाराजगी, मन्त्री द्वारा पीड़ा व दर्द बताना, मंडी के बल्ह के पूर्व विधायक, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व वर्तमान अध्यक्ष द्वारा सरकार का विरोध, दर्शाता कांग्रेस की वर्तमान स्थिति से यहां आभास होता है कि कांग्रेस में आपकी लड़ाई चरम पर है उनके कारण यह राजनीतिक स्थिति प्रदेश में बनी है।

विपिन परमार ने कहा कि वर्तमान सरकार सत्ता में रहने का अधिकार एवं हक पहले ही खो चुकी है और इस प्रकार की ब्यानबाज़ी साफ दिखाती है कि मुख्यमंत्री और सरकार दोनों परेशान हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री को डॉक्टर या साइकैट्रिस्ट से चेक अप करवा लेना चाहिए।

प्रदेश में चल रहे राजनीतिक संकट के समय सुक्खू सरकार के एक महत्वपूर्ण मंत्री द्वारा त्यागपत्र की घोषणा, मुख्यमंत्री की कार्य प्रणाली की आलोचना तथा अपने परिवार की कांग्रेस में हो रही उपेक्षा के आरोप ये सिद्ध करते हैं कि प्रदेश की सुक्खू सरकार अपने राजनीतिक अंतर्द्वंद के कारण संकट में है । जिसकी जिम्मेवारी पूरी तरह से सरकार व कांग्रेस पार्टी की है। सरकार के मंत्री व विधायकों द्वारा अपनी उपेक्षा और अनदेखी के आरोपों से सरकार व कांग्रेस संगठन की असलियत जनता के सामने आ गयी है । उन्होंने सुक्खू सरकार पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार की खिंचतान व विधायकों की उपेक्षा से आज प्रदेश में राजनीतिक संकट पैदा हुआ है और सुक्खू सरकार अपना विश्वास खो चुकी है और अल्पमत में आ गय्र है ।

उन्होंने कहा कि योजनापूर्वक मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस सरकार जगह-जगह झगड़े करवा रही है। जबकि हिमाचल प्रदेश में शांति और कानून व्यवस्था बहाल रहनी चाहिए। यह योजनापूर्वक धरना प्रदर्शन एवं लड़ाईयां पूरी हिमाचल प्रदेश में करवा रहें है। छ: विधायकों को कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायक पद से हटा दिया है। ज्यादातर यह धरना प्रदर्शन वही हो रही है। उन्होंने कहा, यह सरकार इस प्रकार काम कर रही है वो असंवैधानिक है लोकतंत्र के खिलाफ़ है। जिस प्रकार से पहले 15 भाजपा के विधायको को बजट सैशन के दौरान सस्पेंड कर दिया गया और अपनी मेजोरिटी को इन्होंने पेश किया। वह भी अलोकतांत्रिक था और अब वर्तमान में जिस प्रकार से छ: विधायकों की विधानसभा की सदस्यता रद्द करी, वो भी अलोकतांत्रिक है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

# कांग्रेस के इस संकट के लिये कौन जिम्मेदार है?

## सुक्खू-बागी या हाईकमान

**शिमला/शैल।** हिमाचल का राजनीतिक संकट कांग्रेस प्रत्याशी की राज्यसभा चुनाव में हार से शुरू हुआ है। इस हार के बाद यह सवाल जबाव मांग रहा है कि इसके लिये जिम्मेदार कौन है। स्मरणीय है कि जब सुक्खू प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे और स्व.वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे कांग्रेस पार्टी कुछ चुनाव हार गयी थी।

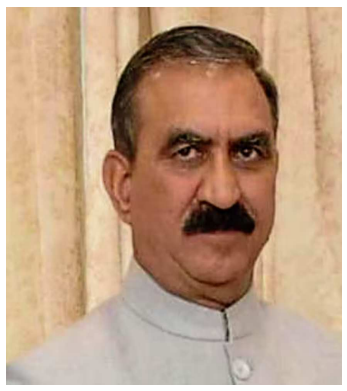

उस हार पर बतौर पार्टी अध्यक्ष सुक्खू ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुये इसके लिये सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया था। सुक्खू का यह ब्यान वायरल होकर सामने आ चुका है। तब भी सरकार और संगठन में आज ही की तरह मतभेद थे। इसलिये चुनावी हार के लिये पहली जिम्मेदारी सरकार की ही रहती है। वर्तमान संकट के लिये भी पहली जम्मेदारी मुख्यमंत्री की ही बनती है। क्योंकि सरकार के कार्यो का ही प्रतिफल चुनावी हार जीत होता है। सुक्खू सरकार के गठन से लेकर आज तक के सरकार के कार्यो, फैसलों और योजनाओं का आकलन किया जाये तो सरकार के पक्ष में कुछ नहीं जाता। आगामी लोकसभा चुनाव के लिये हाईकमान द्वारा करवाये गये सर्वेक्षण में भी यही सामने आया था कि पार्टी चारों लोकसभा सीटें हार रही है। सरकार और संगठन में मतभेद मंत्रिमण्डल में क्षेत्रीय असन्तुलन तथा वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सरकार में समायोजन न होने की शिकायतें लगातार हाईकमान के पास पहुंचती रही लेकिन न तो हाईकमान ने इसका गंभीर संज्ञान लिया और न ही मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री अपने मित्रों की ही ताजपोशीयों में लगे रहे और जमीनी हकीकत से दूर होते चले गये।

राजनीतिक स्थितियों का समय-समय पर आकलन करना सरकार में सीआईडी का काम होता है। सरकार के बाहर यह काम मीडिया का होता है। उसमें सरकार का सूचना एवं जनसंपर्क विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विभाग प्रिंट और न्यूज़ चैनलों तथा सोशल मीडिया रिपोर्टो का आकलन करके उसे सरकार के पास रखता है। लेकिन सुक्खू सरकार ने उन पत्रकारों को अपना दुश्मन मान लिया जो पूरे दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ लिख रहे थे। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर चाटुकारों से घिर कर रह गये और आज सरकार जाने के कगार पर पहुंच गयी। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से चार कांग्रेस के विधायक और एक निर्दलीय भाजपा के पक्ष में वोट डाल गये और सरकार के तन्त्र को इसकी पूर्ण जानकारी ही नहीं हो पायी। शैल ने इस क्रॉस वोटिंग के बारे में समय रहते लिख दिया था। ऐसे में इस हार के लिये मुख्यमंत्री के एक दर्जन से ज्यादा सलाहकार और सरकारी तन्त्र ही जम्मेदार है। आज तो चर्चा यहां तक पहुंच गयी है कि या तो इन लोगों की निष्ठाएं संदिग्ध हैं या फिर इनमें योग्यता की कमी है। अन्यथा यह संकट इतना बड़ा नहीं था और न ही है जिसका हल न निकल सके।

इस समय सरकार टूटने के कगार पर पहुंच चुकी है। छः विधायकों के निष्कासन ने इस पर मोहर लगा दी है। क्योंकि यदि निष्कासन का फैसला अदालत में पलट जाता है तो यह बागियों की पहली जीत है और उसके बाद नेतृत्व परिवर्तन का सवाल और गंभीर हो जायेगा। अन्यथा इन निष्कासितों की सीटों पर लोकसभा चुनाव के साथ चुनाव हो जायेंगे। इन चुनावों में कांग्रेस फिर यह छः सीटें जीत जायेगी इसकी वर्तमान परिदृश्य में कोई भी संभावना नही है। यह सीटें भाजपा के पक्ष में जायेंगी और फिर दोनों साईड 34-34 की स्थिति होगी। जबकि सरकार बनाने के लिये 35 की संख्या चाहिये। इसमें स्पीकर को मतदान का अधिकार नहीं होता। उस स्थिति में कांग्रेस की संख्या 33 ही रह जायेगी और तब भी सुक्खू सरकार सत्ता में नही रह पायेगी।

# सरकार सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है:भाजपा नेतृत्व

**शिमला/शैल।** राज्यसभा में हारने के बाद सरकार सदन के पटल पर गिरने के कगार पर पहुंच गयी थी। इसलिये 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव के बाद बजट का पारण 29 तारीख को होना था और 28 फरवरी को कटौती प्रस्तावों के दौरान सरकार गिरने की संभावना बलवती हो गयी थी। इससे बचने के लिये 28 फरवरी को भाजपा के 15 विधायकों को निलंबित करके उसी दिन बजट पास करवाकर सत्रावसान कर दिया गया। इसी के साथ 28 फरवरी को ही कांग्रेस के छः बागियों की दल बदल कानून के तहत सदन से सदस्यता समाप्त कर दी गयी। ऐसा करने से कांग्रेस की संख्या 34 रह गयी और विधानसभा की सीटें भी 62 रह गयी। ऐसे में 62 के सदन में जहां कांग्रेस की संख्या 34 रह गयी वहीं पर भाजपा के पास 25 और 3 निर्दलीयों के साथ सरकार के विरोधियों की संख्या 28 हो गयी। ऐसे में न्यायालय में कांग्रेस के छः निष्कासितों को राहत मिल जाती है तो फिर 68 के सदन में कांग्रेस और विरोधी 34-34 पर पहुंच जाते हैं। लेकिन सरकार चलाने के लिए 35 का आंकड़ा चाहिये। इस गणित में कांग्रेस अल्पमत में आ जाती है।

इस स्थिति से बचने के लिये अब भाजपा के भी सात विधायकों को विशेषाधिकार हनन के तहत नोटिस जारी करके उनकी भी सदस्यता रद्द करने की चाल चल दी गयी है। इसी के साथ फील्ड में कांग्रेस के बागियों और तीन निर्दलीयों को खिलाफ रोष प्रदर्शन उनके होर्डिंग पर कालिख पोतने आदि की गतिविधियां शुरू हो गयी हैं। भाजपा अध्यक्ष डॉ. बिंदल ने तो यहां तक आरोप लगाया है इन नौ विधायकों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन का डंडा चलाने का काम शुरू हो गया है। उनके घरों पर छापे मारना उनके बिजनेस आउटलेट्स पर छापे मारने का काम शुरू हो गया है। उनके घरों के रास्ते रोकना उनको डराना धमकाना उनसे जुड़े लोगों पर कारवाइयां करके प्रदेश में भय का वातावरण पैदा किया जा रहा है। बिंदल और जयराम ने इसकी घोर निंदा करके सरकार पर आरोप लगाया है कि सुक्खू सरकार अल्पमत में आने के कारण इस तरह के हथकण्डों पर उतर आयी है। भाजपा नेताओं ने स्पष्ट कहा है कि यह सब सहन नहीं किया जायेगा।

विश्लेषको के मुतबिक जो कुछ प्रदेश में घट रहा है ऐसा कभी नहीं हुआ है। यदि यह स्थिति ऐसे ही बढ़ती रही तो इसका अंतिम परिणाम राष्ट्रपति शासन ही होगा। क्योंकि जिस तरह से विधानसभा अध्यक्षों का आचरण विभिन्न राज्यों में सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच चुका है तो हिमाचल को भी उसी गिनती में शामिल होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।